



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54951

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9254 वर्ष 2026

विपिन

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहित शरण तोमर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित शरण तोमर की ओर से श्री रोहित शरण तोमर और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजय कुमार को सुना गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना बारादरी, जिला बरेली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 940 वर्ष 2024, धारा 80(2) और 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन उसे झूठे आरोपों के आधार पर वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका न केवल तुनकमिजाज महिला थी बल्कि उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी थी और यहाँ तक कि शादी से पहले भी उसने आत्महत्या का प्रयास किया था और शादी के बाद भी वह अक्सर उत्तेजित हो जाती थी और घटना के दिन भी एक मामूली बात पर वह उत्तेजित हो गई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने आगे

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी के कारण हुई है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण के दौरान मामले के सूचनादाता, यानी मृतका के भाई ने जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार भी, मृतका तुनकमिजाज महिला थी और उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति थी और विचारण के दौरान दर्ज सूचनादाता का बयान वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

6. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 29.09.2024 से, यानी लगभग डेढ़ साल से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना का भी आरोप था, लेकिन विचारण के दौरान मामले के सूचनादाता अर्था मृतका के भाई ने अपनी जिरह में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग के लिए उसे कभी प्रताड़ित नहीं किया और उसने यह भी कहा कि मृतका में आत्महत्या की प्रवृत्ति थी और इसी कारण उसने आत्महत्या की।

10. इसके अतिरिक्त, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह दर्शाती है कि उसकी मृत्यु फांसी के कारण हुई है।

11. आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 29.09.2024 से, यानी लगभग डेढ़ साल से जेल में है।

12. कानून स्थापित है कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- विपिन को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 मार्च, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।